राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–596/2010/झुन्झुनूं

नवीन गुप्ता पुत्र श्री हरिकिशन दास
निवासी पंचकुला मालिक मैसर्स गणेश रोडवेज
ब्रांच ऑफिस बी.ओ.39 न्यू टिम्बर मार्केट सेक्टर–26, चंडीगढ़
जरिये सिघंल एसोसिएट्स, 5, नारूपथ नारायण सिंह रोड, जयपुर
...अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता–चिड़ावा (झुन्झुनूं) ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी. ओझा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 224/आरवीएटी/एनआरडी/2007–08 में पारित आदेश 22.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, चिड़ावा, (झुंन्झुनूं) (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 09.10.2007 के जरिये कायम की गयी शास्ति राशि रूपये 3,24,915/– को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.10.2007 को चैकपोस्ट पीपली (झुन्झुनूं) पर वाहन संख्या एच.आर.–56/सी–0046 एवं एच.आर. –37ए/2949 दो ट्रकों को चैक किया गया जिस पर वाहन चालकों द्वारा मैसर्स श्री गणेश रोडवेज चंडीगढ़ की बिल्टी सं. 12795, 12797, 12798 दिनांक 28.09.2007, मैसर्स श्री गणेश रोडवेज चंडीगढ़ का चालान नं. 11721 एवं 11722 दिनांक 03.10.2007, मैसर्स हिमालियन पाईप इण्डस्ट्रीज सेपरून सोलन हिमाचल प्रदेश का बिल नं. 371, 373, 374 दिनांक 28.09.2007 एवं घोषणा पत्र वेट–47

लगातार.....2

नम्बर 1542234 दो प्रतियों में मूल एवं दूसरी प्रति प्रस्तुत किये। वाहनों में 34 नग (कॉइल्स) एच.डी.पी.ई.डक्ट सोलन (हिमाचल प्रदेश) से पिलानी के लिये परिवहनित किया जा रहा था। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि घोषणा पत्र वैट 47 पूर्णतया खाली है तथा घोषित माल में भी परस्पर विरोधी घोषणाएं की गई है। जिसके कारण धारा 78(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानकर कारण बताओं नोटिस धारा 76(6) के तहत नोटिस प्रेषिति फर्म को जारी किया गया। नोटिस की पालना में दिनांक 09.10.2007 को श्री नवीन गुप्ता ट्रांसपोर्ट मालिक मैसर्स श्री गणेश रोडवेज चंडीगढ़ ने उपस्थित होकर एक आवेदन किया कि प्रेषक व प्रेषिति फर्मों के स्थान पर उन्हें पक्षकार बनाया जाकर कार्यवाही की जाए जिसे स्वीकार किया जाकर उन्हें पक्षकार बनाया गया एवं कारण बताओं नोटिस उनकों जारी किया गया। नोटिस के जवाब में उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र वैट 47 खाली रहना एक मानवीय भूल है। सशक्त अधिकारी द्वारा खाली फार्म के साथ माल का परिवहन करना धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुये धारा 76(6) के तहत माल कीमतन रूपये 10,28,845/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 3,24,915/– आरोपित की गई है जिसके विरूद्ध यह अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की गई।

3. अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.03.2010 के विरूद्ध माननीय कर बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई जो कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 22.07.2011 द्वारा अस्वीकार की गई।

4. कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 22.07.2011 के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन सं. 557/2011 प्रस्तुत की गई जिसमे निर्णय दिनांक 06.10.2016 द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुये पुनः निर्धारण हेतु कर बोर्ड को प्रेषित किया गया तथा यह भी निर्देशित किया गया कि नियम 53(1)(i) के संबंध में भी विचार करते हुये निर्णय पुनः पारित किया जावे।

5. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि परिवहनित माल एच.डी.पी. डक्ट है जो कि टेलीकम्यूनिकेशन का सामान है एवं टेलीकम्यूनिकेशन सामान पर वेट नियम 53 के अनुसार घोषणा पत्र वैट 47 की आवश्यकता नही है। विद्वान अभिभाषक के अनुसार उक्त माल आईडिया सेल्यूलर कंपनी को बेचा गया है। अतः फार्म 47 की आवश्यकता नही है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि दोनों क्रेता व विक्रेता फर्मे पंजीकृत है एवं सी फार्म पर माल की बिक्री की गई है अतः कोई कर चोरी की मंशा नहीं हैं। इन्होंने नियम 56 का

लगातार.....3

हवाला देते हुये यह भी कथन किया कि पूर्ण घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है जिससे अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं मिला है। इन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

7. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग अपूर्ण घोषणा प्रपत्र वैट–47 के साथ विवादित माल परिवहनित किया जाना स्पष्टतः वैट अधिनियम की धारा 76(2)(ख) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः अपूर्ण घोषणा प्रपत्र वैट–47 से माल परिवहन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के मै. गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टांन्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है। इस पकार उपायुक्त (अपील्स) द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

9. विचाराधीन प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि क्या राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 (जिस आगे **"नियम 2006"** कहा जायेगा) के नियम 53(1)(i) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा परिवहनित किया जा रहा सामान एच.डी.पी.ई.डक्ट के लिये घोषणा पत्र वैट–47 की आवश्यकता थी या नहीं। नियम 2006 का नियम 53(1)(i) निम्न प्रकार था :–

53. Declaration required to be carried with the goods in movement for import within the State. –

(1) A registered dealer.

(i) who imports, from any palce within India, any taxable goods as may be notified by the State Government, for sale. except when the goods are the goods of the class or classes specified in the certificate of registration under the Central SalesTax Act. 1956. of the registered dealer purchasing the goods and are for use in mining or generation or distribution of electricity or any other form of power or **in the telecommunication network** or for packing of goods for sale; or

लगातार.....4

अपीलार्थी का कथन है कि परिवहनित किया जा रहा सामान एच.डी.पी.ई. डक्ट आईडिया टेलीकम्यूनिकेशन लि. जयपुर को प्रेषित किया गया था जो टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में प्रयोग होना था जिसके लिये उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसार वेट–47 की आवश्यकता नहीं थी। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार परिवहनित किया जा रहा सामान एच.डी.पी.ई. मूल रूप से पाईप एसेसरिज है। टेलीकम्यूनिकेशन हेतु तारो को बिछाते समय उन्हें सुरक्षित रखने हेतु उपरोक्त एच. डी.पी.ई. पाईप में डाल कर बिछाया जाता है। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि एच. डी.पी.ई. पाईप ऐसा सामान है जो कई जगह उपयोग में आता है जिसे टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में भी उपयोग में लिया जा सकता है परन्तु यह टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क का आवश्यक भाग नहीं माना जा सकता। टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क के प्रयोग में तार, टॉवर आदि प्रयोग में आते है। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार एच.डी.पी.ई. पाईप टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क के उपयोग में लिये जाने के आधार पर इस विधिक प्रावधान के अन्तर्गत वेट–47 से मुक्ति का लाभ देय नहीं है क्योंकि एच.डी.पी.ई. पाईप, टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क का प्रत्यक्ष तौर पर आवश्यक एवं मात्र इसके उपयोग का सामान नहीं है।

10. अब अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि क्या प्रकरण में नियम 2006 के नियम 56 की पालना की गई है या नहीं। वक्त चेकिंग वाहनों में परिवहनित हो रहे माल एच.डी.पी.ई. कॉइन्स/डक्ट के साथ उपलब्ध घोषणा प्रपत्र वेट–47 का भाग 'ब' एवं 'स' पूर्णतया रिक्त थे तथा भाग 'ए' में संव्यवहार की प्रकृति की प्रविष्टि भरी हुई नहीं थी। सशक्त अधिकारी द्वारा माल के साथ उपलब्ध घोषण प्रपत्र वैट–47 में परिवहनित माल से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विवरण की प्रतिष्टियॉ रिक्त होने पर इस संबंध में प्रत्यर्थी का अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर समुचित अवसर प्रदान किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उपलब्ध घोषणा प्रपत्र वैट–47 की प्रविष्टियॉ रिक्त/अपूर्ण रहने को मानवीय भूल दर्शाते हुए प्रकरण उसी दिन निर्णित करने बाबत अनुरोध किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मै. गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टांत (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार रिक्त/अपूर्ण घोषणा प्रपत्र वेट–47 के समर्थन से माल का परिवहन वेट अधिनियम की धारा 76(2)(ख) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है तथा इस न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 09.10.07 विधिसम्मत एंव न्यायोचित है जिसे यथावत रखने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक भूल नहीं की है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य